भाग 2 ~~क~~ अ

प्रस्तर- 1 : विनियमितिकरण व नवीनीकरण शुल्क की धनराशि रू 14.50 लाख जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला नैनीताल के तहसील हल्द्वानी का कुछ भाग मैदानी क्षेत्र है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था । घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमतिकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था । विनियमतिकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार किया जाना था । इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था । नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र "जे" केवल विनियमतिकरण प्लान्ट को ही जारी किया जाना था । आगे अध्याय-II के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रैशर का आवेदन शुल्क रू 10.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निर्धारित था । अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था ।

कार्यालय उप-निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, नैनीताल के क्षेत्राधिकार में स्टोन क्रैशर की पत्रवालियों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न स्टोन क्रैशर स्वामियों द्वारा विनियमितिकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया था:

(i) मै॰ महाकाली स्टोन क्रैशर, ग्राम-देवलामल्ला, हल्द्वानी (मैदानी क्षेत्र) को स्टोन क्रैशर संचालन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा दिनाँक 06.09.2007 को अनुमति प्रदान की गयी थी जिसकी उत्पादन क्षमता इकाई द्वारा 2500 टन प्रतिदिन बताई गयी । आगे पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा विनियमितिकरण एवं नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया था। परन्तु, स्टोन क्रैशर द्वारा प्रस्तुत की गयी मासिक विवरणी माह 04/16, 05/16 व 06/16 से यह स्पष्ट था कि स्टोन क्रैशर का संचालन वर्ष 2016-17 में

किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि नीति के बिन्दु-9 के अनुसार संचालक द्वारा प्लान्ट के विनियमतिकरण हेतु धनराशि रू 500000/- (1000000 x 50%) निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गयी थी । इसके अतिरिक्त अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर संचालक द्वारा स्टोन क्रैशर का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 250000/- (1000000 x 25%) भी जमा नहीं कराया गया था । इस प्रकार कुल 725000/- (500000 + 225000) धनराशि स्टोन क्रैशर संचालक द्वारा राजकोष में जमा नहीं की गयी थी।

(ii) मै॰ महा लक्ष्मी स्टोन इंडस्ट्री, ग्राम-गंगापुर, हल्द्वानी (मैदानी क्षेत्र) को स्टोन क्रैशर संचालन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा दिनाँक 17.03.2007 को अनुमति प्रदान की गयी थी जिसकी उत्पादन क्षमता इकाई द्वारा 1200 टन प्रतिदिन बताई गयी । आगे पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा विनियमितिकरण एवं नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया था। परन्तु, स्टोन क्रैशर द्वारा प्रस्तुत की गयी मासिक विवरणी माह 04/16, 05/16 व 02/17 व 03/17 से यह स्पष्ट था कि स्टोन क्रैशर का संचालन वर्ष 2016-17 में किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि नीति के बिन्दु-9 के अनुसार संचालक द्वारा प्लान्ट के विनियमतिकरण हेतु धनराशि रू 500000/- (1000000 x 50%) निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गयी थी । इसके अतिरिक्त अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर संचालक द्वारा स्टोन क्रैशर का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 250000/- (1000000 x 25%) भी जमा नहीं कराया गया था। इस प्रकार कुल 725000/- (500000 + 225000) धनराशि स्टोन क्रैशर संचालक द्वारा राजकोष में जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा विनियमितिकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया था जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा नियमानुसार विनियमतिकरण शुल्क 10.00 लाख व नवीनीकरण शुल्क 4.50 लाख (कुल 14.50 लाख) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

(650)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या DMO-109 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला खान अधिकारी हल्द्वानी** के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.11.2017 से 29.11.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी.पी.सिंह एवं ए.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.11.2017 से 10.11.2017 तक श्री के.एल.भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - सम्पूर्ण जनपद नैनीताल

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख में)
2014-15	6903.79
2015-16	8696.01
2016-17	11878.05

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**			
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2015-16	-	-	2,00,000	91708	19017000	13617516	-	5507776
2016-17	-	-	50000	17211	21417000	15136244	-	6313545
2017-18	-	-	2,00,000	154002	26848000	17835898	-	9058100

(स) केन्द्र पुरोंनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ₹**	**प्राप्त ₹**	**व्यय**
2015-16		शून्य		
2016-17				

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** निदेशक भूतव एवं खनिकर्म इकाई देहरादून राजस्व प्राप्ति के आधार पर द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव- निदेश्क अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला खान अधिकारी हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्वः माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया ।

व्ययः माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो नहीं

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....------

....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर 02- नियमानुसार रायल्टी की वसूली न किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 8.66 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं.- 1561/VII-1/80-ख/2016 देहरादून दिनांक- 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु 07 के अनुसार खनिज की निकासी पर राजस्व भूमि/ निजी भूमि के खनन पट्टा/ अनुज्ञाधारक पर उपखनिज की रायल्टी दर, स्टाम्प शुल्क, रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उपरोक्त के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-1689/VII-1/80-ख/2016 देहरादून दिनांकः- 28.10.2016 के द्वारा निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किये गये।

1- रायल्टी
2- रिवर ट्रेनिंग एवं सड़क विकास शुल्क रायल्टी का 15%
3- विकास शुल्क रायल्टी का 10%
4- क्षतिपूर्ति रायल्टी का 15%
5- अन्य 1%

पुनः उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, अधिसूचना सं.- 211/VII-1/24-ख/2007 देहरादून, 26.02.2016 के बिन्दु 06 के अनुसार नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स, बजरी/गिट्टी, बैलास्ट सिंगल/ पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/ बालू की रायल्टी दर ₹194.50 प्रति घनमीटर एवं बिन्दु 08 के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो की रायल्टी दर ₹194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित की गई थी।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान भूमि के समतलीकरण/बालू/बजरी/बोल्डर/मिट्टी चुगान से सम्बन्धित पत्राविलियों की जाँच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये-

(1)अनुज्ञाधारी श्री राजेन्द्र कुमार दास द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल में कुल रकवा 1.522 हैक्टे. भूमि जो काफी ऊबड़ खाबड़ थी को समतलीकरण कर कृषियोग्य बनाने के लिए उक्त स्थल से 67X60X1मी. = 4020 घनमीटर उप खनिज (रेता, बजरी व बोल्डर) निकालने हेतु दिनांक- 08.11.2016 को जिलाधिकारी के आदेश से दिनांकः- 11.11.2016 से 10.12.2016 तक 30 दिन के लिए समतलीकरण हेतु अनुमति दी गई।

उक्त अवधि में रायल्टी की दर ₹194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित थी, उक्त के अनुसार 4020 घनमीटर उपखनीज की रायल्टी निम्न प्रकार से निर्धारित की जानी थी

4020घनमीटरX ₹194.50प्रति घनमीटर = ₹781890.00 रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क, क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्यय रायल्टी का 41% = ₹320575.00

कुल ₹1102465.00 राजस्व के रूप में जमा किया जाना था जबकि अनुज्ञा धारक द्वारा कुल ₹872903 (रायल्टी ₹619080+अन्य ₹253823) जमा किया गया।

उपरोक्त प्रकार से ₹229562.00 राजस्व के रूप में कम जमा किया गया।

(2)अनुज्ञाधारी श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री गुरूदयाल सिंह को ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल में कुल रकवा 1.234 हैक्टे. भूमि जो काफी ऊबड़ खाबड़ थी को समतलीकरण कर कृषियोग्य बनाने के लिए उक्त स्थल से 64X44X1मी. = 2816 घनमीटर उपखनिज (रेता, बजरी व बोल्डर) निकालने हेतु दिनांकः 08.09.2016 को जिलाधिकारी के आदेश से 15 दिन के लिए समतलीकरण हेतु अनुमति प्रदान की गई।

उक्त अवधि में रायल्टी की दर ₹194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित थी, उक्त के अनुसार 2816 घनमीटर उपखनीज की रायल्टी निम्न प्रकार से निर्धारित की जानी थी-

2816 घनमीटरX₹194.50 प्रति घनमीटर = ₹547712.00

जबकि अनुज्ञाधारक द्वारा ₹433664.00 राजस्व के रूप में जमा किया गया, जो ₹114048.00 कम था।

(3)श्री देशराज पुत्र श्री गुरूदित्ता ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी को अपनी निजी नाप भूमि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक हेतु भूमि से निकले उपखनिज (आर.वी.एम.) 12903 घनमीटर की रायल्टी जमा करने के उपरान्त धनराशि का आगवन कर लेखा शीर्षक में जमा कराने पर ही अपर जिलाधिकारी, वि./स., नैनीताल द्वारा दिनांकः- 15.09.2016 को परिवहन अथवा बेचने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त अवधि में रायल्टी की दर ₹194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित थी, उक्त के अनुसार 12903 घनमीटर की रायल्टी निम्न प्रकार से निर्धारित की जानी थी-

12903 घनमीटर X₹194.50 प्रति घनमीटर

= ₹2509634.00

जबकि अनुज्ञाधारक द्वारा रायल्टी के रूप में मात्र ₹1987062.00 जमा किया गया जो ₹522572.00 कम था।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों में कुल ₹866182.00 (229562+114048+522572) रायल्टी के रूप में राजस्व कम जमा किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि रायल्टी शासनादेश सं.- 842/VII-1/2016/24ख/2007, दिनांकः- 19.05.2016 के अनुसार (रेता, बजरी, बोल्डर) RBM की रायल्टी ₹7 प्रति कुन्तल की दर से वसूल की गई, जो सही है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि 26.02.2016 की अधिसूचना में बिन्दु 06 नदी तल से भिन्न पर रायल्टी की दर ₹194.50 प्रति घनमीटर तथा बिन्दु 08 नदी तल में उपलब्ध पर रायल्टी क दर ₹194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित की गई थी, दिनांक 19.05.2016 की अधिसूचना में बिन्दु 08 की दर को संशोधित कर ₹7.00 प्रति कुन्तल अर्थात ₹154.00 प्रति घनमीटर निर्धारित की गई थी। आपतिगत तीनो प्रकरण नदी तल में उपलब्ध के न होकर बिन्दु 06 नदी तल से भिन्न के है। जिन पर रायल्टी की दर ₹194.50 प्रति घनमीटर की दर ही लागू थी।

अतः नियमानुसार रायल्टी की वसूली न किये जाने से राजस्व क्षति ₹8.66 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर- 1 : मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु ~~1.40~~ 1.14 लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में विवरणी अनुवर्ती माह के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम॰ एम॰-12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्ध्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 6(6) के द्वारा त्रैमासिक विवरणी के स्थान पर मासिक विवरणी का प्रावधान करते हुए विवरणी समय से प्रस्तुत न करने की दशा में अर्थदण्ड की धनराशि को रु 400 से बढ़ाकर रु 2000 कर दिया गया था ।

कार्यालय उप-निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, नैनीताल के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि 02 स्टोन-क्रैशर स्वामियों व 05 उप-खनिज भंडारकर्ताओं द्वारा अपनी मासिक विवरणी या तो विलम्ब से जमा की गयी थी या जमा ही नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त वर्णित नियमानुसार 07 उप-खनिज भण्डारकर्ताओं (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी 57 मासिक विवरणियाँ विलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने के कारण रु 2000 प्रति मासिक विवरणी की दर से रु 114,000/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत न करने के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम. सं.	भण्डारकर्ता का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	अनुज्ञप्ति की तिथि	विलम्ब से जमा मासिक विवरणी का माह	कुल माह	अर्थदण्ड (@ ₹ 2000/माह) 31.07.15 से	टिप्पणी
1	शिवशंकर सुयाल पुत्र गोवर्धन सुयाल, ग्राम-पनियाली, हल्द्वानी	12.04.2016 (03 वर्ष)	05/16 से 04/17	11	22000.00	विवरणी जमा नहीं है
2	मै. नानक नैचुरल स्क्रीनिंग प्लान्ट, बन्ना खेड़ा, बाजपुर	11.05.2016 (03 वर्ष)	06/16 से 03/17	10	20000.00	तदैव
3	मोहन चंद पालीवाल पुत्र शोभा दत्त, गुनीपुर, हल्द्वानी	15.01.2015 (17.10.2016 तक)	03/16 से 10/16	05	10000.00	तदैव
4	शाहिद हुसैन, हरीपुर, कर्नल वार्ड, हल्द्वानी	28.08.2016 (02 वर्ष)	11/16 से 03/17	05	10000.00	तदैव
5	मै. उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर, गोलजाली, हल्द्वानी	17.10.2016 (02 वर्ष)	11/16 से 03/17	05	10000.00	तदैव
6	मै. महाकाली स्टोन क्रैशर, देवलामल्ला, हल्द्वानी	-	05/16, 06/16, 07/16, 10/16, 11/16 से 03/17	09	18000.00	-
7	मै. महालक्ष्मी स्टोन क्रैशर, गंगापुर, हल्द्वानी	-	04/16 से 09/16, 10/16, 11/16 से 03/17	12	24000.00	-
योग				57	114000.00	

भाग 2 "ख"

प्रस्तर-2 :आवेदन शुल्क कम जमा किया जाना रु 0.20 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्ध्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं॰ 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनाँक 22.01.2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 में अतिरिक्त प्रावधान कर नियम-8(2) के बिन्दु-3 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में खनिज भंडारण हेतु 1000 घन मी॰ तक आवेदन शुल्क ₹ 60000/- तथा उससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घन मी॰ या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹60000/- लिये जाने का प्रावधान किया गया था।

कार्यालय उप-निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, नैनीताल कार्यालय में उप-खनिज भंडारण से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री संजय कुमार, यू॰के॰ स्टोन क्रैशर, तहसील रामनगर में उप-खनिज के भंडारण मात्रा 5000 घन मी॰ हेतु आवेदन किया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया गया था।

आगे जाँच में पाया गया कि आवेदक को 2000 घन मी॰ भंडारण की अनुज्ञप्ति दिनाँक 11.05.2016 को उक्त वर्णित अधिसूचना के अंतर्गत दी गयी थी। नियमानुसार ₹60000/ प्रति 1000 घन मी॰ की दर से 2000 घन मी॰ के भंडारण हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1,20,000/- जमा किया जाना था जबकि ₹ 100000/- ही जमा कराया गया था। इस प्रकार आवेदक द्वारा ₹ 20000/- आवेदन शुल्क कम जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO-14/2016-17	01,02	01

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उच्चाधिकारी की संस्तुति के बिना अनुपालन आख्या पर कार्यवाही नहीं की गई।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री राजपाल लेघा	उप निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

ह० लेखापरीक्षा अधिकारी